



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06042024-253589
CG-MH-E-06042024-253589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]
No. 1539]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2024/चैत्र 16, 1946
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2024/CHAITRA 16, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे(निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2024

का.आ. 1622(अ).—जबकि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा (भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या के तहत), 1693 (ई) दिनांक 10-04-2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पी II धारा 3 उपधारा (II) (इसके बाद उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) रेलवे अधिनियम (1989 के 24 की धारा 20 ऐ की उपधारा (I) के तहत 1989) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् राजकोट-कानालूस दोहरीकरण के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित किया। गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राजकोट-कानालूस ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र 'दिव्यभास्कर' दिनांक 14/04/2023 में प्रकाशित हुआ था और 'टाइम्स ऑफ इंडिया' दिनांक 21/04/2023 उक्त अधिनियम की धारा 20ऐ की उपधारा (4) के तहत, और जबकि, आपत्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (I) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए इसके साथ संलग्न किया जाएगा।

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से केंद्र सरकार में होगी, सभी बंधनों से मुक्त।

अनुसूची

विषय : विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण: गुजरात राज्य में राजकोट- कानालूस ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण।

राज्य: गुजरात

जिला: राजकोट

क्रम	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	भूमि स्वामी/इच्छुक व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुका: पड़धरी			गांव: मोवैया		
1	643	सरकार	गौचर	1175.00	ग्राम पंचायत मोवैया
2	644	निजी	गैर-कृषि 12 मीटर रोड	950.00	भव्य जितेनभाई पटेल
कुल				2125.00	

[फा. सं. E-507140-1]

राजेंद्र कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS [Western Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2024

S.O. 1622(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (published in the Gazette of India, under notification No, 1693 (E) of dated 10-04-2023 Extra Ordinary P II Section 3 Subsection (II) (here in after referred to as the said notification) under subsection (I) of section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper "**Divyabhaskar**" Dated 14/04/2023 and "**Times of India**" dated 21/04/2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act, and, whereas, Objections have been received and disallowed by the Competent Authority.

And, whereas. in pursuance of sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub section (2) of section 20 E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Sub : Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely : Rajkot-Kanals doubling of Broad Gauge single line in the state of Gujarat.

State : Gujarat

District : Rajkot

Sr. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to beacquire (in sqm)	Name of Land Owner /interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluka : Paddhari			Village : Movaiya		
1	643	Government	Gaucher	1175.00	Gram Panchayat Movaiya
2	644	Private	Non-Agriculture 12 Metre Road	950.00	Bhavya Jitenbhai Patel
Total				2125.00	

[F. No. E-507140-1]

RAJENDRA KUMAR, Chief Project Managar (Construction)-I